

UPMT010094832025



न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या- 03, मथुरा।

उपस्थिति :-डॉ. (श्रीमती) पल्लवी अग्रवाल (उच्चतर न्यायिक सेवा)

{J.O.Code No. UP6191}

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-921/2026

विकास कुमार पाण्डेय प्रति उ.प्र. राज्य

आदेश

1. मुकदमा अपराध संख्या-05/2025 धारा-406, 420, 467, 468, 471 भा०दं०सं० थाना रिफाइनरी, जिला मथुरा के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त **विकास कुमार पाण्डेय** की ओर से स्वयं को अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त पर अन्य सह अभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा से नौकरी का वायदा करके षड़यंत्र के तहत योजनाबद्ध तरीके से अवैधानिक तरीके से धन प्राप्त कर अनुचित लाभ लेने संबंधी आरोप आक्षेपित है।
3. आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र एवं समर्थित शपथपत्र में मुख्यतः इस आशय के कथन किए गए हैं कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। आवेदक/अभियुक्त को पार्टीबंदी के कारण झूठा फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, न ही वह पूर्व सजायाफ्ता है। आवेदक/अभियुक्त को उक्त अपराध में थाना पुलिस गिरफ्तार करने के लिये लगातार दबिश दे रही है। आवेदक/अभियुक्त अग्रिम जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा। अतः उसे दौरान विचारण अग्रिम जमानत प्रदान की जाए।
4. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता-दाण्डिक को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन किया।
5. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण के स्तर पर **दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 वर्ष 2019) धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता** के तहत इस न्यायालय से यह अपेक्षित है कि, वह निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करे-
 - (1) अभियोग की प्रकृति और गम्भीरता,
 - (2) आवेदक का पूर्ववत्त, जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि, क्या वह किसी संज्ञेय अपराध के सम्बन्ध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर पहले ही कारावास भुगत चुका है ?

- (3) न्याय से भागने की सम्भाव्यता और,
- (4) जहाँ आवेदक को उसे इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुँचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया हो, या आवेदन तत्काल अस्वीकृत कर सकता है या अग्रिम जमानत स्वीकार करने के लिए अंतरिम आदेश जारी कर सकता है।
6. पत्रावली एवं केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त पर सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर षडयंत्र के तहत योजनाबद्ध तरीके से छल कपट करने व नौकरी का झांसा देकर धनराशि प्राप्त करने संबंधी आरोप आक्षेपित है। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट एक से अधिक शिकायतकर्तागण द्वारा स्वयं व अन्य व्यक्तियों से आवेदक/अभियुक्त सहित अन्य सह-अभियुक्तगण द्वारा नौकरी लगवाने के नाम पर रकम ऐंठने के आधार पर दर्ज की गई। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्पष्टतः नामित है। अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि यदि आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो समाज के अनेक भोल-भाले लोग उसकी ठगी का पुनः शिकार हो सकते हैं। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध समाज के प्रति एक गम्भीर आर्थिक अपराध है। उक्त प्रकरण में सह-अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र पूर्व में न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। अभियुक्त पर आरोपित अपराध भी सहअभियुक्तगण के समान ही है। आवेदक/ अभियुक्त की ओर से कथित रूप से स्वयं को झूठा फँसाए जाने का कोई यथोचित कारण भी दर्शित नहीं किया गया है।
7. अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण-दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का कोई समुचित आधार नहीं है, तदनुसार अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है, निरस्त किया जाता है।

दिनांक:-18.03.2026

डॉ. (श्रीमती) पल्लवी अग्रवाल
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-03, मथुरा।
ID - UP6191